पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.11131

==========

राजेश जैन, पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी-नेहरू रोड, ठाकुरगंज पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. कलेक्टर, किशनगंज के माध्यम से बिहार राज्य।

2. अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज अंचल, जिला-किशनगंज।

3. पवन कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी, नेहरू रोड, ठाकुरगंज पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

4. रोहित कुमार जैन पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन, निवासी नेहरू रोड, ठाकुरगंज, पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

5. दिलीप कुमार जैन पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन के पुत्र, निवासी-नेहरू रोड, ठाकुरगंज पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

.....उत्तरदाता/ओं

= = = =

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11066

==========

राजेश जैन, पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी-नेहरू रोड, ठाकुरगंज पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. कलेक्टर, किशनगंज के माध्यम से बिहार राज्य।

2. अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज अंचल, जिला-किशनगंज।

3. पवन कुमार जैन पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी-नेहरू रोड, ठाकुरगंज, पीओ और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज

4. रोहित कुमार जैन, पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी नेहरू रोड, ठाकुरगंज, पीओ और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज के निवासी हैं।

5. दिलीप कुमार जैन, पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी-ठाकुरगंज, पीओ और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज के निवासी हैं।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

ए. **अनुकंपा नियुक्ति-खंड-6 अधिसूचना दिनांक 27.04.1995 के पत्र दिनांक 30.08.2019 द्वारा अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए पांच साल की समय सीमा बढ़ा दी गई है-अब आवेदन मृतक के आश्रित द्वारा वयस्क होने**

के 1 साल की अवधि के भीतर दायर किया जा सकता है-ऐसे मामलों में जहां मृतक सरकारी कर्मचारी का आश्रित 5 साल की समय सीमा समाप्त होने के समय नाबालिग है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन दायर करने के लिए। (पैरा-7)

बी. अनुकंपा नियुक्ति-याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया जब वह 20.04.2019 पर नाबालिग था-05.05.2020 पर वयस्क हुआ। जिला अनुकंपा रोजगार समिति, सीतामढ़ी ने 02.03.2021 को उनके दावे को खारिज कर दिया।

ग. जिला अनुकंपा रोजगार समिति का निर्णय-मनमाना और कानून के विपरीत और योजना भी-याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार करने के लिए इस तथ्य से बाधित हुए बिना कि उसका मामला या तो सीमा से वर्जित है या वह आवेदन दायर करने की तारीख को नाबालिग था-याचिका की अनुमति दी गई। (पैरा-8 से 10)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में,

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.11131

==========

राजेश जैन, पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी-नेहरू रोड, ठाकुरगंज पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. कलेक्टर, किशनगंज के माध्यम से बिहार राज्य।

2. अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज अंचल, जिला-किशनगंज।

3. पवन कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी, नेहरू रोड, ठाकुरगंज पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

4. रोहित कुमार जैन पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन, निवासी नेहरू रोड, ठाकुरगंज, पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

5. दिलीप कुमार जैन पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन के पुत्र, निवासी-नेहरू रोड, ठाकुरगंज पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11066

==========

राजेश जैन, पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी-नेहरू रोड, ठाकुरगंज पी. ओ. और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. कलेक्टर, किशनगंज के माध्यम से बिहार राज्य।

2. अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज अंचल, जिला-किशनगंज।

3. पवन कुमार जैन पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी-नेहरू रोड, ठाकुरगंज, पीओ और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज

4. रोहित कुमार जैन, पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी नेहरू रोड, ठाकुरगंज, पीओ और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज के निवासी हैं।

5. दिलीप कुमार जैन, पुत्र-स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन निवासी-ठाकुरगंज, पीओ और थाना-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज के निवासी हैं।

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

(2023 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 11131 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सतीश कुमार सिन्हा, के अधिवक्ता

राज्यों के लिए : श्री ऋषि राज सिन्हा, एससी-19

: श्री सौरभ कुमार, एससी-19 के एसी

प्रत्यर्थी संख्या 3-5 के लिए : श्री ओम प्रकाश सिंह, अधिवक्ता

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 11066 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सतीश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री ऋषि राज सिन्हा, एससी-19

: श्री सौरभ कुमार, एससी-19 के एसी

प्रत्यर्थी संख्या 3-5 के लिए : श्री ओम प्रकाश सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रभात कुमार सिंह मौखिक निर्णय

तारीखः29-01-2024

1. पक्षों के लिए विद्वत वकीलों को सुना।

2. ये रिट आवेदन 2022-23 के परिवर्तन मामला संख्या 11639 में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित दिनांक 09.01.2023 के आदेश को दरकिनार करने के लिए दायर किए गए हैं, जिसके द्वारा एवं जहां परिवर्तन के तहत निजी प्रतिवादी संख्या 3,4 और 5 के पक्ष में आदेश दिया गया है, अनुसूची में विस्तृत भूमि के संबंध में (इन रिट आवेदनों के अनुलग्नक-2)।

3. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को बिना नोटिस दिए और साथ ही बिहार भूमि परिवर्तन अधिनियम, 2011 के आदेश के खिलाफ,

जिसे बिहार भूमि परिवर्तन नियम, 2012 के साथ पढ़ा गया है, विवादित आदेश पारित किया गया है।

4. इस मामले में प्रत्यर्थी-राज्य के साथ-साथ निजी प्रत्यर्थी संख्या 3,4 और 5 की ओर से जवाबी-हलफनामे दायर किए गए हैं।हालाँकि, उनमें से किसी ने भी याचिकाकर्ता की ओर से की गई दलीलों पर विवाद नहीं किया है।

5. यह तय कानून है कि कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण को, किसी पक्ष के लिए प्रतिकूल कोई भी आदेश पारित करने से पहले, प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी करना चाहिए और केवल पक्षों की उपस्थिति और उन्हें सुनने के बाद, अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, हालाँकि, 2022-23 के परिवर्तन मामला संख्या 11639 में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित दिनांक 09.01.2023 के आक्षेपित आदेश के असज्जित अवलोकन से और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथनों को देखने पर, जिसे राज्य या निजी प्रतिवादी संख्या 3,4 और 5 द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 09.01.2023 के आक्षेपित आदेश को पारित करने से पहले अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा कभी नहीं सुना गया था।इस अदालत की राय में, इस तरह का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

6. पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के परिवर्तन मामले संख्या 11639 में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पारित 09.01.2023 दिनांकित आदेश को निरस्त कर दिया जाता है।

7. मामला अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज (प्रतिवादी संख्या 2) को वापस भेज दिया जाता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, एक तर्कपूर्ण और बोलने वाले आदेश द्वारा

संबंधित पक्षों को नोटिस और सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कानून के अनुसार नए सिरे से सुनें और उसका निपटारा करें।

8. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इन रिट आवेदनों की अनुमति है।

(प्रभात कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

शशांक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।